

छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, रायपुर

त्रुटि सुधार

प्रपत्र – आर – 0015

(A)

प्रति,

सचिव,
छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल,
रायपुर

विषय :- अंकसूची/माइग्रेशन में नाम/पिता का नाम/माता का नाम/उपनाम /जन्मतिथि में सुधार करने बाबत।

मेंरी कक्षा की अंकसूची/माइग्रेशन में नाम/पिता का नाम/माता का नाम/उपनाम/जन्मतिथि में सुधार करने की कृपा करें। इस संबंध में मुझसे संबंधित आवश्यक जानकारी निम्नलिखित है :-

- नाम (अंग्रेजी के केपीटल लेटर में)
- कक्षा का नाम – X/XII
- परीक्षा (मुख्य/अवसर) वर्ष II,III,IV,V,VII,VIII,IX
- रोल नम्बर
- परीक्षा केन्द्र क्रमांक
- परीक्षा केन्द्र का नाम
दिनांक रुपये (अंकों में) शब्दों में बैंक का नाम बैंक शाखा शाखा कोड
- संलग्न शुल्क : बैंक ड्राफ्ट क्रं./रसीद क्रं.

केवल सुधार हेतु उपयोग में लायें

1.	छात्र का त्रुटि पूर्ण नाम	<input type="text"/>
	संशोधित नाम	<input type="text"/>
2.	छात्र का त्रुटि पूर्ण उपनाम	<input type="text"/>
	संशोधित उपनाम	<input type="text"/>
3.	पिता का त्रुटि पूर्ण नाम/ उपनाम	<input type="text"/>
	संशोधित नाम/ उपनाम	<input type="text"/>
4.	माता का त्रुटि पूर्ण नाम/ उपनाम	<input type="text"/>
	संशोधित नाम/ उपनाम	<input type="text"/>
5.	त्रुटि पूर्ण जन्मतिथि	<input type="text"/>
	संशोधित जन्मतिथि	<input type="text"/>

घोषणा-पत्र

में घोषणा करता/करती हूँ कि मेंरा/ मेंरी कक्षाकी मुख्य/अवसर परीक्षा वर्ष

की माइग्रेशन (प्रतिलिपि/मूल) प्रमाण पत्र/अंक सूची प्रतिलिपि/अंकसूची में सुधार करने हेतु दी गई, उपरोक्त समस्त जानकारी सत्य है किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।

संलग्न दस्तावेज (✓ करें निर्देशानुसार)

- शपथ पत्र
- प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा की मूल अंकसूची
- कक्षा आठवी प्रमाण पत्र परीक्षा की मूल अंकसूची
- हाईस्कूल/हा.से. प्रमाण पत्र परीक्षा की मूल अंकसूची
- दा.खा. पंजी की प्र. अध्यापक/प्राचार्य एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रति
- पासपोर्ट/जन्म प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध) हो तो

परीक्षार्थी के स्वयं के हस्ताक्षर
परीक्षार्थी का नाम
पत्र व्यवहार का पूर्ण पता
.....
जिला राज्य
पिन कोडमो.नं.
ई-मेल आई.डी.
आधार नं.

- टीप : -
- त्रुटि संशोधन सुधार हेतु शुल्क 250/- प्रति प्रिंटेड अंकसूची (हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी के लिये पृथक-पृथक)
 - अंकसूची में जन्मतिथि त्रुटि संशोधन हेतु शुल्क 250/- प्रति (हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी के लिये पृथक-पृथक)
 - डी.डी. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, रायपुर के नाम पर देय होगा या छ.ग.राज्य ओपन स्कूल कार्यालय रायपुर में डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है।